

एशिया सुपर अग्निशोभा,
संयुक्त संस्थान,
उत्तर प्रदेश भारत ।

श्रीलंका में

राष्ट्रीय, माध्यमिक शिक्षा परिषद,
श्रीलंका-2, नवम्बर 1998,
कोलंबो शहर, श्रीलंका ।

श्रीलंका 1998 अनुभाग

तारीख: दिनांक: 19 अक्टूबर 2000

विषय:- श्रीलंका सुशिक्षित एकेमी एन एम एल एल सी, कोलंबो एन एम एल एल सी नई दिल्ली से संबन्धित प्रमाण-पत्र दिये जाने के संबंध में ।

संदर्भ:-

उपरोक्त विषय पर मुझे यह कदम का निर्देश हुआ है कि श्रीलंका सुशिक्षित एकेमी एन एम एल एल सी, कोलंबो एन एम एल एल सी नई दिल्ली से संबन्धित प्रमाण-पत्र दिये जाने में इस राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रक्रियाओं के अधीन आना पड़ेगा :-

- 111 विद्यालय की संशोधन प्रक्रियाओं का समय-समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा ।
- 121 विद्यालय की प्रबंध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा परामर्श एक सदस्य होगा ।
- 151 विद्यालय में कम से कम एक प्रशिक्षित स्थायी अनुभवी शिक्षक/अनुभवी कर्मचारी के बच्चों के लिये सुरक्षा रक्षक और उनके उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित विद्यालयों में विभिन्न स्तरों के लिये नियमित रूप से अधिक सुख नवीन किया जायेगा ।
- 141 शिक्षा द्वारा राज्य सरकार से शिक्षा अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद के अर्थात् केन्द्रीय शिक्षा परिषद के मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की संबन्धित केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद/कीर्ति कर से परिष्कृत रूप स्वीकृत प्रमाणपत्र नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उन परीक्षा वर्ष में उक्त केन्द्रीय परीक्षाओं की मान्यता प्राप्त होने की तिथि से उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रस्ताव मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वरूप: समाप्त हो जायेगा ।
- 151 शिक्षा निदेशक एवं शिक्षा निदेशक द्वारा स्वीकृत प्रमाणपत्र प्राप्त करने वाले विद्यालयों की अनुभव के अनुसार तथा उच्च अर्थात् से 1/4 दिनांक तक उच्च शिक्षा माध्यमिक शिक्षा परिषद ।
- 161 परीक्षाओं की तिथियों बनायी जायेगी और उन्हें उच्चता प्राप्त आभासीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के अधीनस्थों की अनुमति देना निर्धारित का नाम उपरोक्त कराये जायेगा ।

1/28

171 राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर की जायेगी; शिक्षा निदेशक को संयोजन कराया जाना होगा ।

181 विद्यालय का शिक्षा निदेशक द्वारा परामर्श प्रमाणपत्रों में उक्त का होगा ।

191 उक्त कदमों में राज्य सरकार के पूर्वानुमति के लिए उक्त परामर्श/संशोधन या परामर्श नही किया जायेगा ।

2- उक्त प्रक्रियाओं का पालन कराया होगा है जिसे अतिरिक्त होना और यदि कोई कदम यह पता होना है कि शिक्षा द्वारा उक्त प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया जा रहा है उक्त पालन करने में शिक्षा द्वारा जो एक वा मिलित परामर्श दान है उसे राज्य सरकार द्वारा प्रमाणपत्र प्रदान पर लाना के लिए जायेगा ।

अर्थात्,

1 एशिया सुपर अग्निशोभा,
संयुक्त संस्थान ।

श्रीलंका-संख्या 887/15/15-7-161661/99

प्रतिनिधि निम्नलिखित की सुचनाएं एवं जानकारी दे दी है:-

- 1- श्रीलंका सुशिक्षित एकेमी, कोलंबो ।
- 2- केन्द्रीय सुशिक्षित शिक्षा निदेशक, कोलंबो ।
- 3- श्रीलंका सुशिक्षित शिक्षा परिषद, कोलंबो ।
- 4- शिक्षा, उच्च माध्यमिक शिक्षा निदेशक, कोलंबो ।
- 5- श्रीलंका सुशिक्षित एकेमी एन एम एल एल सी, कोलंबो एन एम एल एल सी नई दिल्ली ।

1 एशिया सुपर अग्निशोभा,
संयुक्त संस्थान ।